

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगू जिला चित्तौडगढ़ (राज0)  
प्रार्थना पत्र संख्या :- 95/2025 दिनांक 19/5/25

अनवान

2/25/264

आशाबाई पुत्री महेन्द्रलाल कलाल वगैरे  
निवासी-सिमाखिना तह बस्ती प्रार्थी/प्रार्थीगण

बनाम  
श्रीमतराज पुत्र हरीशंकर कलाल वगैरे  
निवासी-सिमाखिना तह बस्ती विपक्षी/विपक्षीगण

:: आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत बाबत पत्थरगढी करने::

न्यायालय में अधिवक्ता श्री D.S. युद्धका के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसके बाद जाँच दर्ज किया जाकर प्रकरण में जाँच किये जाने पर पाया कि प्रार्थी/प्रार्थीगण वर्णित आराजीयात का खातेदार है तथा प्रार्थी द्वारा उनके खातेदारी की कृषि आराजी मौजा तोहरिया पटवार हल्का शोवालडा की आराजी संख्या .....५०५७.....  
अनुवाद कुल कीता-१.२.....कुल रकबा ५:०६० हे  
कृषि भूमि की पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया गया है।

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किये जाने पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया गया है। अतः प्रार्थी/प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की छायाप्रति इस आदेश के साथ संलग्न की जाकर आपको आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी/प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि आराजी मौजा तोहरिया पटवार हल्का शोवालडा की आराजी संख्या .....५०५७.....  
अनुवाद कुल कीता-१.२..... कुल रकबा ५:०६० हे भूमि की पत्थरगढी हेतु सूचना पत्र जारी कर प्रार्थी/प्रार्थीगण एवं विपक्षी/विपक्षीगण की उपस्थिती में प्रार्थीगण से पत्थरगढी शुल्क की राशि ५००० प्राप्त करते हुए मौके की पत्थरगढी की जावें।

संलग्न :- प्रार्थना पत्र  
कीता- ①

Handwritten signature

उपखण्ड अधिकारी, बेगू  
जिला चित्तौडगढ़(राज.)

क्रमांक / सरिस्ता / 2025 / 330

दिनांक :- 19/5/28

प्रार्थना पत्र संख्या 95/25 व अनवान आशाबाई पुत्री महेन्द्रलाल कलाल वगैरे प्रार्थना पत्र अ0धा0 128 एल.आर.एक्ट में न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश की प्रति आपको वास्ते प्रालनार्थ दी जाती है।

नोट - अन्तर्गत प्रकरण का विवाद हल होने तक प्रार्थीगण को पत्थरगढी शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा।  
व मौके पर ही पत्थरगढी शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा।

Handwritten signature

उपखण्ड अधिकारी, बेगू  
जिला चित्तौडगढ़(राज.)